



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**24.11.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सतीश कुमार के स्वामित्व वाली एक अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति पंजाब के जिला एसएस नगर (मोहाली) के खरड़ स्थित सनी एन्क्लेव में 200 वर्ग गज का भूखंड है, जिस पर निर्माण भी है और जिसका मूल्य 1.84 करोड़ रुपये (लगभग) है।

प्रवर्तन निदेशालय ने थाना नाहन में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर तत्कालीन जिला कोषागार अधिकारी (डीटीओ) नाहन सतीश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू की। मामले में 31.05.2023 की तारीख का आरोप पत्र दाखिल किया गया है और सतीश कुमार को माननीय विशेष न्यायाधीश, सिरमौर द्वारा नाहन में उक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।

ईडी की जांच में पता चला कि सतीश कुमार ने डीटीओ नाहन (2012-2018) के पद पर रहते हुए ई-पेंशन सॉफ्टवेयर में हेरफेर कर पेंशन फंड को अपने नाम और पत्नी व बच्चों के नाम पर कई बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया। 95 पेंशनभोगियों के लिए कुल 1,68,66,371/- रुपये (अपराध के आगम की राशि) इन खातों में अवैध रूप से जमा किए गए।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि सतीश कुमार ने अपराध के आगमों का उपयोग मोहाली के सनी एन्क्लेव में एक आवासीय संपत्ति खरीदने और निर्माण करने के लिए किया, जिससे अपराध की आय को बेदाग दिखाया गया। संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य 1,84,91,651/- रुपये है, इसलिए अपराध के आगमों का पूरा मूल्य 1,68,66,371/- रुपये पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।